

क्रमांक : 138 - 140

प्रेषक : जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर

प्रेषिति : 1. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ,
जैसलमेर
2. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ,
पोकरण

विषय : अधिवक्तागण के लिए दिनांक 25.07.2020 को आयोजित होने वाला राष्ट्रव्यापी अवेयरनेस /
प्रशिक्षण कार्यक्रम।

प्रसंग : माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्रांक RHC/Reg-CPC/2020/62 दिनांक 20.07.2020 के क्रम में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय व संदर्भ पत्र के अनुसरण में आपको सूचित किया जाता है कि ई कोर्ट प्राजेक्ट के तहत अधिवक्तागण के लिए अनेक डिजिटल सुविधाएँ उपलब्ध हैं परन्तु जानकारी के अभाव में इस सुविधाओं का पूरा व सार्थक उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ई कमेटी द्वारा अधिवक्तागण के लिए "ई-फाइलिंग व ई-कोर्ट सर्विसेज" विषय पर दिनांक 25.07.2020 को सायं 3 से 4 बजे एक ऑनलाइन अवेयरनेस/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में अधिवक्तागण को विभिन्न ई-कोर्ट सर्विसेज तथा ई-कोर्ट वेबसाइट, मोबाईल ऐप, ई-फाइलिंग, ई-पे, कियोस्क, ई-सेवा केन्द्र आदि के बारे में बताया जायेगा जिससे वे इन माध्यमों से प्राप्त होने वाली विभिन्न डिजिटल सुविधाओं का पूरा लाभ ले सकें।

अतः आप दिनांक 25.07.2020 के इस ऑनलाइन वेबिनार/मीटिंग में भाग लेने के संबंध में सभी स्थानीय अधिवक्ताओं को अवगत किया जाना सुनिश्चित करावे जिससे अधिकाधिक अधिवक्तागण लाभान्वित हो सकें।


इस संबंध में आप अपना ई-मेल तथा वॉट्सऐप नम्बर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे ताकि ऑनलाइन वेबिनार/मीटिंग लिंक व अन्य विवरण आपको भिजवाया जा सके। वेबिनार लिंक प्राप्त होने पर अधिवक्ताओं के वॉट्सऐप ग्रुप एवं अन्य सोशल प्लेटफार्म्स पर शेयर करे ताकि अधिक से अधिक अधिवक्तागण लाभान्वित हो सकें।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर
दिनांक :

क्रमांक :

प्रति निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. इस न्यायक्षेत्र के समस्त पीटासीन अधिकारीगण संबंधित कर्मचारी को वेबिनार में भाग लेने के लिए सूचित करे।
02. सिस्टम ऑफिसर को वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
03. नोटिस बोर्ड।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर